



झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची- 834002

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा (1) Draft JSERC (Terms and Conditions for Green Open-access) Regulation, 2024, (2) Draft JSERC (Verification of the Status of Captive Generating Plant and Captive Consumers) Regulations, 2024, एवं (3) Draft JSERC (Group Net Metering and Virtual Net Metering) Regulations, 2024, को अंतिम रूप देने के पूर्व उक्त विनियमनों के प्रारूप पर जन-सुनवाई दिनांक 14.03.2024 को अपराह्न 3:00 से आयोग के सभागार, प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002 में होना सुनिश्चित किया गया है।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार

ह./- (राजेन्द्र प्रसाद नायक)

सचिव

Size- 12x7